

**वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण**

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर वि०वा० (2013-14)	अनुमोदित दर वि०वा० (2014-15)
<b>एल०एम०वी०-1</b>	<b>घरेलू बत्ती, पंखा</b>		
	<b>क-ग्रामीण आपूर्ति (तहसील मुख्यालय, नगरपालिका एवं नगरपंचायत क्षेत्र रहित)</b>		
	<b>(1) मीटर रहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 180.00 प्रति संयोजन प्रति माह	
	2 कि०वा० तक		₹ 180.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	2 कि०वा० से अधिक भार पर		₹ 200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	<b>(2) मीटर सहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 50.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 50.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 2.20 प्रति यूनिट	₹ 2.20 प्रति यूनिट
	<b>ख-सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 70.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 70.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 4.50 प्रति यूनिट	₹ 5.25 प्रति यूनिट
	<b>ग-अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी के लिए)</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 75.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 75.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	200 यूनिट तक	150 यूनिट तक
		₹ 4.00 प्रति यूनिट	₹ 4.00 प्रति यूनिट
		201 से 500 यूनिट तक	151 से 300 यूनिट तक
		₹ 4.50 प्रति यूनिट	₹ 4.50 प्रति यूनिट
		500 यूनिट से अधिक	301 से 500 यूनिट तक
		₹ 5.00 प्रति यूनिट	₹ 5.00 प्रति यूनिट
			500 यूनिट से अधिक
			₹ 5.50 प्रति यूनिट
	<b>घ- लाइफ लाइन उपभोक्ता</b>	1.0 कि.वा. भार तथा 150 यूनिट/माह उपभोग तक	1.0 कि.वा. भार तथा 150 यूनिट/माह उपभोग तक
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 50.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 50.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	0-100 यूनिट	0-50 यूनिट
		₹ 0.220 प्रति यूनिट	₹ 0.200 प्रति यूनिट
		101-150 यूनिट	51-150 यूनिट
		₹ 0.260 प्रति यूनिट	₹ 0.285 प्रति यूनिट
<b>एल०एम०वी०-2</b>	<b>वाणिज्यिक बत्ती, पंखा</b>		
	<b>क-ग्रामीण आपूर्ति (तहसील मुख्यालय, नगरपालिका एवं नगरपंचायत क्षेत्र रहित)</b>		
	<b>(1) मीटर रहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 300.00 प्रति संयोजन प्रति माह	
	2 कि०वा० तक		₹ 350.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	2 कि०वा० से अधिक भार पर		₹ 400.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	<b>(2) मीटर सहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 65.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 65.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 2.50 प्रति यूनिट	₹ 2.75 प्रति यूनिट
	<b>ख-निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन</b>		
	मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	-	-
	इनर्जी चार्ज	₹ 14.00 प्रति यूनिट	₹ 14.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 1200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 1200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	<b>ग-अन्य मीटर सहित संयोजन(सभी के लिए)</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	300 यूनिट तक	0-150 यूनिट तक
		₹ 6.00 प्रति यूनिट	₹ 6.00 प्रति यूनिट
		300 यूनिट से अधिक	151-300 यूनिट तक
		₹ 6.50 प्रति यूनिट	₹ 6.50 प्रति यूनिट
			300-1000 यूनिट तक
			₹ 6.80 प्रति यूनिट
			1000 यूनिट से अधिक
			₹ 7.10 प्रति यूनिट
<b>एल०एम०वी०-3</b>	<b>सार्वजनिक प्रकाश</b>		
	<b>(1) मीटर रहित संयोजन</b>		
	ग्राम पंचायत	₹ 1700.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 1700.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 2000.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 2000.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	नगर निगम	₹ 2500.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 2500.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	<b>(2) मीटर सहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज		
	ग्राम पंचायत	₹ 120.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 120.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 150.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 150.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	नगर निगम	₹ 160.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 160.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	<b>इनर्जी चार्ज</b>		
	ग्राम पंचायत	₹ 5.25 प्रति यूनिट	₹ 5.50 प्रति यूनिट
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 5.60 प्रति यूनिट	₹ 5.85 प्रति यूनिट
	नगर निगम	₹ 5.75 प्रति यूनिट	₹ 6.00 प्रति यूनिट
	<b>टाईम ऑफ डे % इनर्जी चार्ज</b>	<b>टी०ओ०डी० दर</b>	<b>टी०ओ०डी० दर</b>
	1800 से 0600 बजे तक	@ 0%	@ 0%
	0600 से 1800 बजे तक	@ +20%	@ +20%
<b>एल०एम०वी०-4</b>	<b>निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ</b>		
	<b>अ-सार्वजनिक संस्थाएँ</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 6.50 प्रति यूनिट	0-1000 यूनिट तक
			₹ 6.50 प्रति यूनिट
			1000 यूनिट से अधिक
			₹ 6.80 प्रति यूनिट
	<b>ब-निजी संस्थाएँ</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 200.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 6.75 प्रति यूनिट	0-1000 यूनिट तक
			₹ 6.80 प्रति यूनिट
			1000 यूनिट से अधिक
			₹ 7.10 प्रति यूनिट

**वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण**

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर वि०व० (2013-14)	अनुमोदित दर वि०व० (2014-15)
<b>एल०एम०वी०-5</b>	<b>निजी नलकूप</b>		
	<b>क-ग्रामीण आपूर्ति</b>		
	<b>(1) मीटर रहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 100.00 प्रति बीएचपी/माह	₹ 100.00 प्रति बीएचपी/माह
	अधिकतम लाईट लोड स्वीकृत	120.00 वॉट	120.00 वॉट
	<b>(2) मीटर सहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 30.00 प्रति बीएचपी/माह	₹ 30.00 प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 1.00 प्रति यूनिट	₹ 1.00 प्रति यूनिट
	<b>न्यूनतम चार्ज</b>	₹ 75.00 प्रति बीएचपी/माह	₹ 75.00 प्रति बीएचपी/माह
	<b>ख-शहरी आपूर्ति</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 55.00 प्रति बीएचपी/माह	₹ 55.00 प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 4.00 प्रति यूनिट	₹ 5.00 प्रति यूनिट
	<b>न्यूनतम चार्ज</b>	₹ 140.00 प्रति बीएचपी/माह	₹ 220.00 प्रति बीएचपी/माह
<b>एल०एम०वी०-6</b>	<b>लघु एवं मध्यम उद्योग</b>		
	<b>क-ग्रामीण आपूर्ति के अतिरिक्त</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 225.00 प्रति कि०वा०/प्रति माह	₹ 225.00 प्रति कि०वा०/प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 6.00 प्रति यूनिट	0-1000 यूनिट तक ₹ 6.20 प्रति यूनिट 1000 यूनिट से अधिक ₹ 6.80 प्रति यूनिट
	<b>ख-ग्रामीण आपूर्ति</b>	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 15 प्रतिशत की छूट अनुमत्य।	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमत्य।
	<b>टाईम ऑफ डे % इनर्जी चार्ज</b>	<b>टी०ओ०डी० दर</b>	<b>टी०ओ०डी० दर</b>
	22:00 से 06:00 बजे तक	(-) 7.5%	(-) 7.5%
	06:00 से 17:00 बजे तक	-	-
	17:00 से 22:00 बजे तक	(+) 15%	(+) 15%
	<b>लोड फैक्टर छूट</b>	<b>लोड फैक्टर छूट</b>	<b>लोड फैक्टर छूट</b>
	288 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 432 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह तक खपत पर	288 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह के मध्य खपत के मूल्य का 7.5 प्रतिशत	
	432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह तक खपत पर	उपरोक्त प्रथम स्लेब में लागू 7.5 प्रतिशत + 432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह के मध्य खपत के मूल्य का 10 प्रतिशत	लोड फैक्टर छूट अनुमत्य नहीं।
	504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक खपत पर	उपरोक्त प्रथम स्लेब में लागू 7.5 प्रतिशत + द्वितीय स्लेब में लागू 10 प्रतिशत + 504 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक की खपत के मूल्य का 20 प्रतिशत	
<b>एल०एम०वी०-7</b>	<b>जलकल</b>		
	<b>क-ग्रामीण आपूर्ति के अतिरिक्त</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 230.00 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 230.00 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 6.25 प्रति यूनिट	₹ 6.80 प्रति यूनिट
	<b>ख-ग्रामीण आपूर्ति</b>	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 15 प्रतिशत की छूट अनुमत्य।	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमत्य।
<b>एल०एम०वी०-8</b>	<b>राजकीय नलकूप</b>		
	<b>(1) मीटर सहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200.00 प्रति बीएचपी/माह	₹ 200.00 प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 6.00 प्रति यूनिट	₹ 6.55 प्रति यूनिट
	<b>(2) मीटर रहित संयोजन</b>		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 1250.00 प्रति बीएचपी/माह	₹ 1500.00 प्रति बीएचपी/माह
<b>एल०एम०वी०-9</b>	<b>अस्थायी संयोजन</b>		
	<b>(1) मीटर रहित संयोजन</b>		
	<b>फिक्स्ड चार्ज</b>	₹ 2500.00 प्रति दिन	₹ 3000.00 प्रति दिन
	क. सार्वजनिक प्रकाश एवं उद्घोषणा (20कि.वा. तक एवं ₹ 100/कि०वा०/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि०वा० भार के लिए)		
	ख. फिक्स्ड चार्ज: मंजिले/त्योहारों में अस्थायी दुकान(2कि.वा. तक)	₹ 170.00 प्रति दिन/दुकान	₹ 200.00 प्रति दिन/दुकान
	<b>(2) मीटर सहित संयोजन</b>		
	<b>इनर्जी चार्ज</b>		
	व्यक्तिगत मकान निर्माण हेतु	₹ 6.00 प्रति यूनिट	₹ 6.50 प्रति यूनिट
	अन्य	₹ 6.50 प्रति यूनिट	₹ 7.85 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 115.00 प्रति कि०वा०/सप्ताह	₹ 150.00 प्रति कि०वा०/सप्ताह
<b>एल०एम०वी०-10</b>	<b>विभागीय उपभोक्ता</b>		
	<b>(1) मीटर रहित संयोजन</b>		
	<b>उपभोक्ता श्रेणी</b>	फिक्स्ड चार्ज प्रति माह	फिक्स्ड इनर्जी चार्ज प्रति माह
	चतुर्थ श्रेणी/परिचालीय वर्ग	₹ 90.00	₹ 90.00
	तृतीय श्रेणी	₹ 90.00	₹ 120.00
	अवर अभियंता एवं समकक्ष	₹ 175.00	₹ 250.00
	सहायक अभियंता एवं समकक्ष	₹ 185.00	₹ 370.00
	अधिसासी अभियंता एवं समकक्ष	₹ 185.00	₹ 400.00
	अधीक्षण अभियंता/उप महाप्रबंधक एवं समकक्ष	₹ 425.00	₹ 490.00
	मुख्य अभियंता (I&II)/महाप्रबंधक एवं उसके ऊपर	₹ 425.00	₹ 600.00
	अतिरिक्त चार्ज - ए०सी० के उपयोग पर (₹०/माह/ए०सी०)	₹ 500.00 प्रति ए०सी०	₹ 550.00 प्रति ए०सी०
	<b>(2) मीटर सहित संयोजन</b>	एल०एम०वी०-1 घरेलू बत्ती पंजा के अनन्तत 'अन्य मीटरड' श्रेणी के रेट आफ चार्ज पर 50 प्रतिशत छूट	एल०एम०वी०-1 घरेलू बत्ती पंजा के अनन्तत 'अन्य मीटरड' श्रेणी के रेट आफ चार्ज पर 50 प्रतिशत छूट

**वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण**

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर वि०व० (2013-14)	अनुमोदित दर वि०व० (2014-15)
<b>एच०वी०-1</b>	<b>उद्योग रहित बल्क लोड</b>		
	(क) वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)		
	<b>डिमान्ड चार्ज</b>		
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 270.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 270.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 250.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 250.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	<b>इनर्जी चार्ज</b>		
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 6.10 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.80 प्रति के०वी०ए०एच०
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 6.00 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.60 प्रति के०वी०ए०एच०
	(ख) 75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर	सार्वजनिक संस्थान हेतु	सार्वजनिक संस्थान, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, आवासीय कालोनी, टाउनशिप, आवासीय बहुखण्डी भवन
	<b>डिमान्ड चार्ज</b>		
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 250.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 250.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 240.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 240.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	<b>इनर्जी चार्ज</b>		
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 6.00 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.60 प्रति के०वी०ए०एच०
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 5.80 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.40 प्रति के०वी०ए०एच०
<b>एच०वी०-2</b>	<b>बड़े एवं भारी उद्योग</b>		
	0.4 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर लागू दर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर लागू दर
	<b>क-शहरी आपूर्ति</b>		
	<b>आधार दर</b>	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर
		11 के.वी. से अधिक एवं 68 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर	68 के.वी. से अधिक एवं 132 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर
		132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर
	डिमान्ड चार्ज (₹०/के०वी०ए०/माह)	250.00	240.00
	इनर्जी चार्ज (₹०/के०वी०ए०एच०)	5.90	5.60
	<b>टाईम ऑफ डे % इनर्जी चार्ज</b>	<b>टी०ओ०डी० दर</b>	<b>टी०ओ०डी० दर</b>
	22:00 से 06:00 बजे तक	(-) 7.5%	(-) 7.5%
	06:00 से 17:00 बजे तक	0%	0%
	17:00 से 22:00 बजे तक	(+) 15%	(+) 15%
	<b>लोड फैक्टर छूट</b>	<b>लोड फैक्टर छूट</b>	<b>लोड फैक्टर छूट</b>
	396 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 432 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह तक खपत पर	396 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह के मध्य खपत के मूल्य का 7.5 प्रतिशत	
	432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह तक खपत पर	उपरोक्त प्रथम स्लेब में लागू 7.5 प्रतिशत + 432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह के मध्य खपत के मूल्य का 10 प्रतिशत	लोड फैक्टर छूट अनुमन्य नहीं।
	504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक खपत पर	उपरोक्त प्रथम स्लेब में लागू 7.5 प्रतिशत + द्वितीय स्लेब में लागू 10 प्रतिशत + 504 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक की खपत के मूल्य का 20 प्रतिशत	
	<b>ख-ग्रामीण आपूर्ति</b>	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के०वी० तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता शहरी आपूर्ति पर लागू डिमान्ड एवं इनर्जी चार्ज पर 15 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी रेट के अनुमन्य।	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के०वी० तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता शहरी आपूर्ति पर (11 के०वी० हेतु) लागू डिमान्ड एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी रेट के अनुमन्य।
<b>एच०वी०-3</b>	<b>रेलवे ट्रेक्शन</b>		
	(क) रेलवे ट्रेक्शन		
	<b>डिमान्ड चार्ज</b>		
	आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक	₹ 280.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 280.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	आपूर्ति 132 के.वी. से कम	₹ 280.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 280.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	<b>इनर्जी चार्ज</b>		
	आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक	₹ 5.90 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.05 प्रति के०वी०ए०एच०
	आपूर्ति 132 के.वी. से कम	₹ 5.90 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.30 प्रति के०वी०ए०एच०
	<b>न्यूनतम चार्ज</b>	₹ 650.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 700.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	<b>लोड फैक्टर छूट</b>	<b>लोड फैक्टर छूट</b>	<b>लोड फैक्टर छूट</b>
	396 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 432 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह तक खपत पर	396 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह के मध्य खपत के मूल्य का 7.5 प्रतिशत	
	432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह तक खपत पर	उपरोक्त प्रथम स्लेब में लागू 7.5 प्रतिशत + 432के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक तथा 504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह के मध्य खपत के मूल्य का 10 प्रतिशत	लोड फैक्टर छूट अनुमन्य नहीं।
	504के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक खपत पर	उपरोक्त प्रथम स्लेब में लागू 7.5 प्रतिशत + द्वितीय स्लेब में लागू 10 प्रतिशत + 504 के.वी.ए.एच./के.वी.ए./माह से अधिक की खपत के मूल्य का 15 प्रतिशत	
	(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन		
	132 के.वी. या कम आपूर्ति पर		
	<b>डिमान्ड चार्ज</b>	₹ 125.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 125.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	<b>इनर्जी चार्ज</b>	₹ 5.00 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 5.60 प्रति के०वी०ए०एच०
	<b>न्यूनतम चार्ज</b>	₹ 550.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 600.00 प्रति के०वी०ए०/माह

## वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर वि०व० (2013-14)	अनुमोदित दर वि०व० (2014-15)
एच०वी०-4	लिफ्ट इरीगेशन		
(a)	<b>डिमैन्ड चार्ज</b>		
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 250.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 250.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं 66 के.वी. पर	₹ 240.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 240.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	आपूर्ति 132 के.वी. पर	₹ 230.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 230.00 प्रति के०वी०ए०/माह
	<b>इनर्जी चार्ज</b>		
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	₹ 6.00 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.50 प्रति के०वी०ए०एच०
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं 66 के.वी. पर	₹ 5.80 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.25 प्रति के०वी०ए०एच०
	आपूर्ति 132 के.वी. पर	₹ 5.60 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.00 प्रति के०वी०ए०एच०
	<b>न्यूनतम चार्ज</b>	₹ 650.00 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 750.00 प्रति के०वी०ए०/माह

### लागू रेग्युलेटरी सरचार्ज -

- (1) मा०आयोग के आदेश दि० 06.08.2014 के अनुपालन में 2.84% की दर से रेग्युलेटरी सरचार्ज (केस्को कानपुर के क्षेत्र को छोड़कर) मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है।
- (2) मा० आयोग के टैरिफ आदेश दि० 01.10.2014 (वित्तीय वर्ष 2014-15) के अनुपालन में 2.38 की दर से रेग्युलेटरी सरचार्ज मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं से तथा 2.23 प्रतिशत की दर से केस्को क्षेत्र के उपभोक्ताओं से लिया जायेगा।

- (3) उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरें एवं रेग्युलेटरी सरचार्ज इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद से सभी चारों वितरण निगमों एवं केस्को में स्वतः लागू हो जाएँगी। उपरोक्त अनुमोदित दरें समस्त वितरण निगमों की वेबसाइट (www.mvnl.in, www.dvvn.org, www.puvnl.up.nic.in, www.pvnl.org, www.kesco.co.in) एवं उ०प्र० पावर कारपोरेशन तथा उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट कमर (www.uppcl.org & www.uperc.org) पर उपलब्ध हैं।

### अध्यक्ष

उ०प्र०पा०का०लि०

मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को

राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाव